प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 96/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

2. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 9 अगस्त 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल के ऑडिट संबंधी प्रावधानों' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था।

3. परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है।

4. इस मसौदा विनियमन का उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना है।

5. मसौदा विनियमन का विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर हितधारकों से 06.10.2025 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सलाहकार (बी एंड सीएस) डॉ. दीपाली शर्मा और संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस) सुश्री सपना शर्मा को advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) या सुश्री सपना शर्मा, संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से क्रमशः ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन +91-11-20907774 या jtadv-bcs@trai.gov.in या टेलीफोन +91-11-26701418 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
22/9/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा